| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

16/6/25

**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।**

**एस०ए०आर०वाद सं०-89/2024-25**

**कजरू मुण्डा,.....आवेदक।**

**बनाम्**

**जुगल किशोर, .....विपक्षी।**

***आदेश***

आवेदक कजरू उराँव, पिता–स्व० भुनू मुण्डा, निवासी ग्राम–पंचौली मेसरा, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षी जुगल किशोर, पिता–झबूलाल महतो, निवासी ग्राम–केदल, बी०आई०टी०, मोड़ थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

**जमीन का विवरण**

| मौजा | थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| मेसरा | 169 | 79 | 2433 | 43 डी० |

आवेदक द्वारा अपने शपथ–पत्र संख्या–1267, दिनांक–20.01.2025 में वंशावली को दर्शाया गया है कि रामू पाहन खतियानी रैयत है, वे अपने पीछे जगदेव मुण्डा, भुनू मुण्डा, झुनकू मुण्डा, लोदो मुण्डा, कुशेश्वर मुण्डा, पहलु मुण्डा को छोड़ गए। भुनू मुण्डा, अपने पीछे कजरू मुण्डा (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। इसी को आधार मानकर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक का कहना है कि यह मेरी खतियानी जमीन है, जिसे विपक्षी ने जबरन दखल कर हड़प लिया है। इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत आवेदक को जमीन वापस होना चाहिए।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया, इसमें कहते हैं कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, पोषणीय भी नहीं है एवं कालबाधित है। आवेदक ने जो यह वाद लाया वह खाता–79, प्लॉट सं०–2433, मौजा–मेसरा, रकबा–43 डिसमिल पर है। Birla Institute of

16/6/25

कृ०पृ०उल्टे

16/6/25

Technology, Mesra ने वर्णित भूमि का भू–अर्जन कर लिया है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, काँके, राँची ने विपक्षी को नोटिस भी निर्गत किया था। और आगे कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि Birla Institute of Technology, Mesra के Gazette में प्लॉट सं०–2433 अर्जित है, फिर भी आवेदक ने यह वाद लाया है वह विपक्षी के विरूद्ध फर्जी एवं बनावटी है। वर्णित भूमि पर Birla Institute of Technology, Mesra से अनुमति प्राप्त कर विपक्षी एक छोटा सा कैन्टीन चला रहें हैं, जो विद्यार्थी के लिए है तथा वाद 40 वर्षो बाद लाया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत यह वाद चलने योग्य नहीं हैं, क्योंकि सरकार द्वारा वर्णित भूमि को Birla Institute of Technology, Mesra राँची को दे दिया गया है। जिसकी Gazette की छायाप्रति दाखिल किया गया है। जिसमें खाता–79, प्लॉट सं०–2433, मौजा–मेसरा राँची दर्ज है। इसलिए यह वाद Maintainable नहीं है। अतः वाद को खारिज किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, इसमें कहते हैं कि तकरारी जमीन आवेदक के पूर्वजों की खतियानी जमीन है। और आवेदक उपरोक्त भूमि की उत्तराधिकारी है। जिसे विपक्षी ने उपायुक्त के अनुमति के बिना मेरे जमीन को हड़प लिया है। इसलिए मुझे जमीन वापस होना चाहिए, यह वाद Maintainable है। आवेदक द्वारा खतियान की छायाप्रति तथा अंचल रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से Maintainability के बिन्दु पर बहस किया गया, इसमें कहते हैं कि तकरारी जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण कर Birla Institute of Technology, Mesra राँची को दिए हैं और यह Engineering College के दखल–कब्जा में है। वर्णित भूमि को Birla Institute of Technology, Mesra राँची के द्वारा ही छोटा कैन्टीन चलाने के लिए दिया गया है। विपक्षी द्वारा Gazette के बाद ही भूमि को लिया गया है। यह वाद 40 वर्षो बाद लाया गया है। जो Maintainable नहीं है तथा कालबाधित भी है। चूँकि यह जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर Birla Institute of Technology, Mesra राँची को दिया गया है इसलिए इस पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" लागू नहीं होता है। यह वाद Maintainable नहीं, इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए। विपक्षी की ओर Gazzet की छायाप्रति दाखिल कि गई है, जिसमें उपरोक्त वर्णित भूमि दर्ज है।

16/6/25

कृ०पृ०उल्टे

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने, Gazzet की छायाप्रति एवं अन्य कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि तकरारी जमीन सरकार द्वारा अधिगृहत कर Birla Institute of Technology, Mesra राँची को दिया गया है। इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा Maintainable नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

16/6/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

16/6/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.07.16 10:54:45 +05:30
Location: 10.121.215.39